CERTIFICATE OF REGISTRATON

OF

SOCIETY ACT XXI 1860

No. **S- 14812** OF 1984

I hereby certify that 'लोक विज्ञान परिषद'

____

____ has been

registered under the SOCIETIES REGISTRATION ACT, XXI of 1860.

GIVEN UNDER MY HAND at DELHI on this __14th_ Day of

अगस्त One Thousand Nine Hundred and Eighty Four.

REGISTRATION FEE OF RS. 50/- PAID.

REGISTRAR OF SOCIETIES

DELHI ADMN. DELHI

लोक विज्ञान परिषद का ज्ञापन पत्र

(1) संस्था का नाम:

इस संस्था का नाम 'लोक विज्ञान परिषद' होगा। इसके संविधान में व्यवहृत 'परिषद' शब्द से तात्पर्य 'लोक विज्ञान परिषद' होगा।

(2) कार्यालय:

परिषद का मुख्य कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में होगा। वर्तमान में इसका कार्यालय 'ई–9/23' वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 में है।

(3) उद्देश्य:

1. भारतीय समाज की उत्तरोत्तर आविष्कारोन्मुखी बनाना।

2. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से विज्ञान एवं तकनीकी उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार करना, इन विषयों पर सम्मेलन, संगोष्ठियों तथा प्रदर्शनियां आयोजित करना, चलचित्र, कंप्यूटर, चल–प्रदर्शनी आदि के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में विज्ञान प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा लोक विज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित करना।

3. विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में शिक्षण,प्रशिक्षण और अनुसंधान के संस्थानों में हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करना,अनुसंधान और इसके लोकोपयुक्त व्यापक व्यवहार से सामंजस्य स्थापित करना, ऐसी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का विकास करना जिसका व्यवहार समान रूप से सभी भारतीय भाषाओं में हो सके, मौलिक तकनीकी लेखन तथा वैज्ञानिक शोध प्रस्तुतीकरण आदि को प्रोत्साहित करना और इनके प्रकाशन की व्यवस्था करना।

4. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर, इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर जैसे आधुनिक उपकरणों/यंत्रों के प्रयोग को बढ़ाने का प्रयास करना और इनके लिए उप टेक्नोलॉजी के विकास को प्रोत्साहन देना।

5. उर्पयुक्त उद्देश्यों के अनुरूप अन्य कार्यों को बढ़ावा देना।

परिषद का समस्त आय उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग में लाई जाएगी।

(4) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (पंजाब संशोधन 1957) की धारा–2 के अधीन गठित संस्था के प्रबंधन के लिए बनाई गई कार्य समिति के सदस्यों के नाम, पते,व्यवसाय और परिषद में दायित्व पद इस प्रकार हैं:–

क्रमांक	नाम व स्थायी पता	कार्यालय पता	व्यवसाय	परिषद में दायित्व पद
1	श्री सूरजमल अग्रवाल 111,गोल्फ लिंक, नई दिल्ली—110003	एक्जिक्यूटिव प्रेसीडेंट, हिन्दुस्तान टाइम्स लि.,18—20, कस्तूबागांधी मार्ग, नई दिल्ली—110001	इंजीनियर प्रशासक	प्रधान
2	डा. जगन्नाथ शर्मा, डी—15, अंसारी नगर, अ.भा.आयुविज्ञान संस्थान,नई दिल्ली—110029	डिपाटमेंट आफ फार्मेकालॉजी, अ.भा.आयुविज्ञान संस्थान,नई दिल्ली—110029	चिकित्सक अध्यापक	सह—प्रधान
3	प्रो. सदाशिव वासुदेव पटवर्धन, रामबाग, कांजनी, पुणे—30 (महाराष्ट्र)	प्राध्यापक, ग्राम विकास एवं ग्राम प्रौद्योगिकी केंद्र, आई.आई.टी.,दिल्ली—110016	अध्यापक	उप—प्रधान
4	डा. ओम विकास, ब्रम्हपुरी, एटा (उत्तर प्रदेश)	संयुक्त निदेशक, इलेक्ट्रानिकी विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली—110003	कंप्यूटर वैज्ञानिक सरकारी सेवा	महासचिव
5	श्री हरिबाबू कंसल, ई—9, 23 वसंत विहार,नई दिल्ली—110057	—	समाज सेवी	कोषपाल
6	श्री विक्रम कुमार कालड़ा, कांगड़ा (हि.प्र.)	निदेशक (प्रशिक्षण) महानिदेशक, [illegible] विमानन विभाग, ब्लाक 2 [illegible] 3, पूर्वी रामकृष्णपुरम, [illegible] दिल्ली—110066	इंजीनियर सरकारी सेवा	सचिव
7	[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] सिन्हा, पू[illegible] [illegible],	चिकित्साधिकारी सफदरजंग अस्पताल,	चिकित्सक सरकारी सेवा	सचिव

	मुगेंर(बिहार)	□□ दिल्ली—110029		
8	श्री कृष्ण कुमार पांडे, 17, ट्रांजिट कैम्प, स्टेट एंट्री रोड,नई दिल्ली—110055	संयुक्त निदेशक, राजभाषा विभाग, □□ मंत्रालय, 1,□□□□□□ □□□, नई दिल्ली—110003	वैज्ञानिक सरकारी सेवा	सचिव
9	□. गुरूवचन सिंह, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइसेंस, □□□□□□□ नेहरू विश्वविद्यालय,नई दिल्ली—110067	कंप्यूटर एंड सिस्टम साइसेंस, □□□□□□□ नेहरू विश्वविद्यालय,नई दिल्ली—110067	(कंप्यूटर वैज्ञानिक) अध्यापन	सचिव
10	□. □□□□ □□,द्वारा □□□□□ □□□□, कीचख, पहला ढाल एलिस ब्रिज, □□□□□□□(□□□□)	केंद्रीय भवन, □□□□□ संस्थान,रूड़की	वैज्ञानिक सरकारी सेवा	सदस्य
11	□. महेश चन्द्र गुप्ता, 72 — □. □.□ □□□□□, □□□ □□□□□, □ □□□ (उत्तर प्रदेश)	कार्यपालक इंजीनियर (हिन्दी), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन,नई दिल्ली—110001	सरकारी सेवा	सदस्य
12	□. □.□.□□, □□—15, ग्रीन पार्क एक्सटेशन, नई दिल्ली	अध्यक्ष, स्नायु मंडल चिकित्सा, सफद□□□ अस्पताल, □□ दिल्ली—110029	चिकित्सक सरकारी सेवा	सदस्य
13	□. कृष्ण कुमार गोस्वामी	केंद्रीय हिन्दी संस्थान, श्री अरविन्द आश्रम , नई दिल्ली—110016	भाषाविद् (अध्या□□)	सदस्य
14	श्री हरचरण लाल शर्मा, □—2□, 210(□□□—16) जनकपुरी, नई दिल्ली—110058	राष्ट्रीय शैक्षिक, □□□□□ □□ प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली—110016	वैज्ञानिक सरकारी सेवा	सदस्य

15	श्री भारतेन्दु भूषण, ए—2522, □□□□ □□□, □□ दिल्ली—110023	निर्माण सर्वेक्षक,दिल्ली इंज केंद्रीय परिमंडल—3, □.□□.नि.विभाग, इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली—110002	इंजीनियर सरकारी सेवा	सदस्य
16	श्री विश्वंभर प्रसाद 'गुप्तबंधु', □□—154, □□□ विहार, □□□□□□,□□ दिल्ली—110094	आनरेरी तकनीकी □□□□□(हिन्दी), इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियर्स, न□ दिल्ली—110002	इंजीनियर	सदस्य
17	श्री अबासमा कंजपणं, पेल्लोर पोस्ट,□□□□□,□ □.□. डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक	निदेशक 'युडक्री', 57, कटवारिया सराय, □□ दिल्ली—110016	वैज्ञानिक	सदस्य

लोक विज्ञान परिषद

हम अधो हस्ताक्षरी परिषद के ज्ञापन–पत्र का अनुसरण करते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 (□□□□ □□□□□ 1957) की धारा–2 □□ □□□□ 'लोक विज्ञान परिषद' के नाम से संस्था को पंजीकृत राने के इच्छुक हैं तथा रजिस्ट्रार आफ सोसायटी, दिल्ली प्रशासन से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना करते हैं।

क्रमांक	नाम व स्थायी पता	कार्यालय पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	□□. जगन्नाथ शर्मा, □□– 15, अंसारी नगर, □.□□.आयुविज्ञान संस्थान,नई दिल्ली– 110029	डिपाटमेंट आफ फार्मेकालॉजी, □.□□.आयुविज्ञान संस्थान,नई दिल्ली– 110029	मेडिकल डॉक्टर	
2	प्रो. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव □□ 1/5 □□□□ □□□□, □□ दिल्ली –110029	प्रोफेसर, भाषा विज्ञान विभाग, नई दिल्ली – 110029	अध्ययन	
3	श्री कृष्ण कुमार पांडे, 17, ट्रांजिट कैम्प, स्टेट एंट्री रोड,नई दिल्ली– 110055	संयुक्त निदेशक, राजभाषा विभाग, □□ मंत्रालय, 1,□□□□□□□ □□□, नई दिल्ली– 110003	वैज्ञानिक सरकारी सेवा	
4	□□□ □□□□ □. बालसुब्रमणियम 2, □□ देशिकाचारी रोड, मद्रास– 4 (तमिलनाडु)	□.□□.□□., □□. □ □.□□. □. □□ □□□, नई दिल्ली – 110001	□□ अधिकारी	
5	प्रो. सदाशिव वासुदेव पटवर्धन, र□□□□, □□□□, □□–30 (महाराष्ट्र)	प्राध्यापक, ग्राम विकास एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, □□. □□.टी.,दिल्ली– 110016	अध्यापक नौकरी	
6	प्रोफेसर मलिक मोहम्मद अ	अध्यक्ष, □□.□.	सरकारी सेवा	

	बंसत विहार, पट्टसलियन विला, नागरकोविल-2	आयोग वेस्ट ब्लॉक-7, रामकृष्णपुरम्, □□ दिल्ली-110066		
7	श्री विक्रम कुमार कालड़ा, □□□□□ (हि.प्र.)	निदेशक (प्रशिक्षण) महानिदेशक, □□□□ विमानन विभाग, ब्लाक 2 □ 3, पूर्वी रामकृष्णपुरम्, □□ दिल्ली—110066	इंजीनियर सरकारी सेवा	
8	□□. □□□ □□□ □□□□□ सिन्हा, □□□ □□□□, मुगेंर(बिहार)	चिकित्साधिकारी सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली—110029	चिकित्सक □□□□री सेवा	
9	□□. □□.□□.□□, □□—15, ग्रीन पार्क एक्सटेशन, नई दिल्ली	अध्यक्ष, स्नायु मंडल चिकित्सा, स□□□□□ अस्पताल, □□ दिल्ली—110029	चिकित्सक सरकारी सेवा	
10	□□. □□.□□. त्रिपाठी, ग्राम लखनापार, □□. □□□□□□, □□□□ □□□□□□, □.प्र.	प्रोफेसर, भौतिकी विभाग, □□.□□.टी दिल्ली, नई दिल्ली-110016	अध्यापन	

लोक विज्ञान परिषद

हम अधो हस्ताक्षरी परिषद के ज्ञापन—पत्र का अनुसरण करते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 (□□□□ □□□□□ 1957) की धारा—2 □□ □□□□ 'लोक विज्ञान परिषद' के नाम से संस्था को पंजीकृत राने के इच्छुक हैं तथा रजिस्ट्र □आफ सोसायटी, दिल्ली प्रशासन से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना करते हैं।

क्रमांक	नाम व स्थायी पता	कार्यालय पता	व्यवसाय	हस्ताक्ष
11	□. सरयू प्रसाद गुप्त ग्राम— □□□ □□□ □.— □□□□ □□ □□□□ —सीतामढ़ी, बिहार	संयुक्त सचिव विश्वविद्यालय □□□□□ □□□□ □□ दिल्ली — 110002	□□	
12	छत्रपति जोशी सी -1/38 पंडारा पार्क, नई दिल्ली — 110003	□□□□□□ (□□□□□□) गृह मंत्रालय, □□ दिल्ली	□□	
13	प्रेम बिहारी विजय 235, □□□□□, □□□□ (राजस्थान)	संस्थान इंजीनियर, □□□□□ प्रौद्योगिकी संस्थान, □□□ □□□ (□□.□□.टी), नई दिल्ली	□□	
14	□. □□□□ □□,द्वारा □□□□□ □□□□, कीचख, पहला ढाल एलिस ब्रिज, □□□□□□□(□□□□□)	केंद्रीय भवन, □□□□□□ संस्थान,रूड़की	□□	
15	प्रो. विजय बी. अग्रवाल 24, □□□ □□□, □□ दिल्ली—110005	अध्यक्ष, कम्पूटर सांइस विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली—110007	अध्यापन	
16	श्री हरचरण लाल शर्मा, □—2□, 210(□□□□—16) जनकपुरी, नई दिल्ली— 110058	राष्ट्रीय शैक्षिक, □□□□□□ □□ प्रशिक्षण परिषद, □□ दिल्ली—110016	नौकरी	

17	प्रो. हीरालाल जलाली इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन विभाग , रीजनल इंजीनियरिंग □□□, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)	....	अध्यापन	
18	श्री अबासमा कंजपणं, पेल्लोर पोस्ट ,□□□□, □.□. डिस्ट्रि ,कर्नाटक	निदेशक 'युडक्री', 57, कटवारिया सराय, □□ दिल्ली—110016	□□	
19	ब्रहमजित गुप्ता शर्मा द्वारा श्री राय चौधरी 22, फार्ण प्लेस कलिकाता – 19 (पश्चिम बंगाल)	अधीक्षक अभियंता दि.प्र.वि.परिमंडल–1 इन्द्रप्रस्थ भवन, न□ दिल्ली—110002	□□	
20	श्याम किशोर बढ़ई पु□ □□□□□ – 224001 उत्तर प्रदेश	अधीक्षक अभियंता दि.□.परिमंडल–6 केन्द्रीय निमार्ण विभाग रामकृष्णपुरम् नई दिल्ली	□□	

लोक विज्ञान परिषद

[illegible], [illegible] हस्ताक्षर नीचे दिए हुए हैं, परिषद के ज्ञापन—पत्र का अनुसरण करते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 ([illegible] 1957) की धारा—2 [illegible] 'लोक विज्ञान परिषद' के नाम से संस्था को पंजीकृत क[illegible] इच्छुक हैं तथा रजिस्ट्रार आफ सोसायटी, दिल्ली प्रशासन से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना करते हैं।

क्रमांक	नाम व स्थायी पता	कार्यालय पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
21	प्रो. प्रियरंजन त्रिवेदी निदेश[illegible] (प्रशासन) इंडियन इन्स्टीट्यूट आर्फ बिजनेस मैंनेजमेंट, पटन[illegible] (बिहार)	कार्यपालक उपाध्यक्ष [illegible]. जाकिर हुसैन औपचारिक एवं शिक्षण आम्रपाली, बेली रोड, [illegible]— 9	शिक्षण	
22	[illegible]. सुरेंद्र शर्मा मोहल्ला जोशीवाडा देवल्द जिला सहारनपुर उत्तरप्रदेश	[illegible]. सुरेंद्र शर्मा [illegible]यक प्रो. आर्थोपैडिक, म[illegible] आजाद मेडिकल [illegible], नई दिल्ली— 110002	शिक्षण	
23	दिवाकर शास्त्री वनस्थली विद्यापीठ [illegible]. [illegible]. वनस्थली विद्यापीठ जिला टौंक, राजस्थान	दिवाकर शास्त्री वनस्थली विद्यापी[illegible] [illegible]. [illegible]. वनस्थली विद्यापीठ जिला टौंक, राजस्थान	शिक्षण	
24	[illegible]. [illegible] [illegible]न्द्र गुप्ता, 7 — [illegible], [illegible], [illegible] (उत्तर प्रदेश)	कार्यपालक इंजीनियर (हिन्दी), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, [illegible] दिल्ली—110001	सरकारी सेवा	
25	श्री हरिबाबू कंसल, ई—9, 23 वसंत विहार, [illegible] दिल्ली—110057	[illegible]—9, 23 [illegible] विहार, नई दिल्ली— 110057	[illegible]	

26	श्री सूरजमल अग्रवाल 111,गोल्फ लिंक, [illegible] दिल्ली—110003	एक्जिक्यूटिव प्रेसीडेंट, इंजी हिन्दुस्तान टाइम्स प्र लि.,18—20, कस्तूबागांधी मार्ग, नई दिल्ली—110001	इंजीनियर प्रशासक	
27	[illegible]. राम गोपाल गुप्ता 9/14— पुरानी सब्जी [illegible], [illegible]—122001 (हरियाण[illegible])	स्कूल आफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसिस, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, [illegible] दिल्ली—110067	प्राध्यापक	
28	केंद्रीय हिन्दी संस्थान, श्री अरविन्द आश्रम, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली—110016	केंद्रीय हिन्दी संस्थान, श्री अरविन्द आश्रम, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली—110016	अध्यापन	
29	[illegible]. गुरूवचन सिंह, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइसेंस, [illegible] नेहरू विश्वविद्यालय,नई दिल्ली—110067	कंप्यूटर एंड सिस्टम (कं साइसेंस, [illegible] नेहरू विश्वविद्यालय,[illegible] दिल्ली—110067	(कंप्यूटर वैज्ञानिक) अध्यापन	
30	[illegible]. ओम विकास, ब्रम्हपुरी, [illegible], [illegible] (उत्तर प्रदेश)	संयुक्त निदेशक, इलेक्ट्रानिकी विभाग, वै [illegible] [illegible], [illegible] दिल्ली—110003	कंप्यूटर वैज्ञानिक सरकारी सेवा	

लोक विज्ञान परिषद

□□ □□□, □□□□□हस्ताक्षर नीचे दिए हुए हैं, परिषद के ज्ञापन–पत्र का अनुसरण करते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 (□□□□ □□□□□ 1957) की धारा–2 □□□□□□ 'लोक विज्ञान परिषद' के नाम से संस्था को पंजीकृत क□□□□□ इच्छुक हैं तथा रजिस्ट्रार आफ सोसायटी, दिल्ली प्रशासन से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना करते हैं।

क्रमांक	नाम व स्थायी पता	कार्यालय पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
31	□□. □□□□□ □□□ 'स्वयंप्रभा' □□□□ □□□□□, बायट्ला (आंध्रप्रदेश)	निदेशक (हिन्दी) सं□ □□□ □□□ □□□□, □□ दिल्ली–110011	सरकारी सेवा	
32	राजेन्द्र सिंह टण्डन 46 □□□□, □□□□□ □□□, देहली–7	निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण □□□ □□□, □□ □□ □□□, नई दिल्ली	सरकारी सेवा	
33	श्री विश्वंभर प्रसाद 'गुप्तबंधु', □□–154, □□□ विहार, □□□□□□,□□ दिल्ली–110094	इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियर्स, नई दिल्ली–110002	चार्टर्ड इंजीनियर	
34	श्री भारतेन्दु भूषण, ए–2522, □□□□□ □□□, □□ दिल्ली–110023	निर्माण सर्वेक्षक,दिल्ली केंद्रीय परिमंडल–3, □□□.नि.विभाग, इन्द्रप्रस्थ भवन, □□ दिल्ली–110002	सिविल इंजीनियर सरकारी सेवा	
35	□□□□ □□□□ 211 ग्रेटर □□□□□, नई दिल्ली–110048	उपनिदेशक □ □□□□□□□, □□□ मार्ग, नई दिल्ली–110001	सरकारी सेवा	
36	□□. चन्द शेखर झा ग्राम विजयनगर जिला भागलपुर बिहार	प्राध्यापक विद्युत इंजीनिरिंग विभाग, आई आई टी, □□ दिल्ली–110016	अध्यापन	

37	[illegible]. प्रीतम दास भटनागर रीजनल कालिज कैम्पस पुष्कर रोड अजमेर राजस्थान	पर्यावरण विभाग,राजस्थान [illegible], [illegible]	[illegible] अध्यापन विव[illegible]	

लोक विज्ञान परिषद के नियम एवं उपनियम

1- संस्था का नाम:

इस संस्था का नाम 'लोक विज्ञान परिष ' होगा। इसके संविधान में व्यवहृत 'परिषद' शब्द से तात्पर्य 'लोक विज्ञान परिष ' [illegible]

2- कार्यालय:

परिषद का मुख्य कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में होगा।

3. सदस्यता

3.1 परिषद के ज्ञापन—पत्र पर दिए गए उददेश्यों कोई भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी,निगम अथवा संस्था, परिषद की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है। परिषद की कार्य—समिति का यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी,निगम अथवा संस्था को परिषद की सदस्यता प्रदान करें अथवा उसके लिए मना कर दे।

3.2 परिषद में निम्नलिखित प्रकार की सदस्यता होगी —

(क) व्यक्ति सदस् ——

1. सामान्य सदस्

(विज्ञान एवं टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत अथवा उसमें विशेष रूचि रखने वाले व्यक्ति)

2. सहयोगी सदस्य

(अन्य सभी प्रकार के व्‍ अथवा सामान्य सदस्य बनने के पात्र के व्यक्ति जो [illegible])

3. आजीवन सदस्य

(वे व्यक्ति जो अपना सदस्य —शुल्क एवं मुश्त देना चाहते है।)

(ख) निगम सदस्य ——

(कम्पनी, कार्पोरेशन, फर्म तथा उपक्रम)

(ग) संस्था सदस्य ——

(शिक्षण, अ□□□□□, □□□—□□, साहित्य सेवा, आदि में रत गैर—व्यापारिक संस्थाऐं)

3.3 सदस्यता—शुल्क ——

3.3.1 <u>भारत के सदस्य</u> **<u>शुल्क</u>**

□.1	सामान्य सदस्र	25 रूपए वार्षिक
□.2	□□□□□ सदस्य	10 रूपए वार्षिक
□.3	□ □□□□ सदस्य	200 रूपए वार्षिक
□	निगम सदस्य	2500 रूपए वार्षिक
□	संस्था सदस्य	250 रूपए वार्षिक

3.3.2 भारत से बाहर के सदस्य ——

भारत से बाहर के व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, निगम अथवा संस्था के लिए शुल्क उपर्युक्त दरों का □□□ □□□ □□□□

3.3.3 कार्य—समिति को यह अधिकार होगा कि वह परिस्थिति के अनुसार सदस्यता—शुल्क में परिवर्तन कर सके।

5. परिषद की सामान्य सभा:

5.1 गठन

परिषद के सभी सदस्य सामान्य सभा के सदस्य होगें।

5.2 सामान्य सभा के कर्तव्य और अधिकार ——

(क) गत वर्ष के आय—व्यय के विवरण तथा आगामी वर्ष के लिए अनुमानित आय—व्यय पर विचार करना और स्वीकृति देना।

(ख) गत वर्ष के कार्य विवरण की सम्पुष्टि करना।

(ग) प्रधान, महासचिव तथा कार्यसमिति के सदस्यों का चुनाव करना।

(घ) कार्यसमिति तथा सामान्य सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना।

(ड़) □□—व्यय लेखा—परीक्षक की नियुक्ति करना जो कार्यसमिति से बाहर का व्यक्ति □□□□

(च) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य आवश्यक कार्यों पर विचार करना।

5.3 सामान्य सभा की बैठकें

(□) परिषद की सामान्य सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य हुआ करेगी परन्तु एक चौथाई सदस्यों के लिखित अनुरोध पर महासचिव सामान्य सभा की विशेष □□□ ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से एक मास के अन्दर बुलायेगा। बैठक की सूचना सामान्यतया कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेजी जाएगी।

(□) सामान्य सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 10 प्रतिशत □□□□ 50 सदस्यों की इनमें जो भी कम हो ख, उपस्थिति जरूरी होगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित होने पर पुन: बुलाई गई बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी परन्तु ऐसी बैठक में कोई नया विषय नहीं उठाया जाएगा।

(□) यदि सामान्य सभा की वार्षिक बैठकों के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के भीतर भी गणपूर्ति का अभाव रहे तो बैठक एक सप्ताह के बाद के किसी दिन के लिए स्थगित कर दी जाएगी जिसकी घोषणा बैठक स्थगित करते समय की जा सकती है।

(□) सामान्य सभा की विशेष बैठकों के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के भीतर यदि गणपूर्ति का अभाव रहे तो वह बैठक समाप्त कर दी जाएगी।

(□) सामान्य सभा के समय विचाराधीन प्रश्नों पर बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाएगा और पक्ष—विपक्ष के मत समान होने पर बैठक के अध्यक्ष को निर्णायक मत प्रयोग करने का अधिकार होगा।

5.4 मताधिकार

सामान्य सभा की वार्षिक/विशेष बैठक में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार उन्हीं सदस्यों को होगा जिन्होनें बैठक की सूचना जारी होने की तिथि से पूर्व दिन तक सदस्यता शुल्क दे दिया हो। निगम सदस्य तथा संस्था सदस्य की ओर से उनके द्वारा अधिकृत रूप से नामित व्यक्ति सामान्य सभा की बैठक में भाग लेगा और मताधिकार का प्रयोग करेगा।

6. कार्यसमिति

6.1 गठन ——

(□) परिषद के उददेश्यों के अनुसार उसके सभी कार्यों का संचालन करने के लिए ए□ कार्यसमिति होगी।

□.1 कार्यसमिति का गठन निम्नलिखित रूप से होगा:

1. परिषद के प्रधान तथा महासचिव 1+1

2. सामान्य सभा द्वारा निर्धारित सदस्य

निगम,संस्था, □ □□□□, □□□□□□ □□□ 9 □□33

सामान्य सदस्यता के प्रत्येक वर्ग से

□□—एक प्रतिनिधि अवश्य रखा जाएगा।

3. प्रधान द्वारा मनोनित सहयोजित सदस्य 0 □□6

□.2 कार्यसमिति के सदस्यों की कुल संख्या में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य,सामान्य सदस्यों एवं आजीवन सदस्यों में से लिए जाएगें।

□.3 निगम सदस्य तथा संस्था सदस्य को कार्यसमिति में चुनाव के लिए अपने किसी भी प्रतिनिधि को नामित करने का अधिकार होगा।

6.2 कार्यकाल ——

(□) पदाधिकारियों तथा कार्यसमिति के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

(□) कार्यकाल के बीच में किसी प्रधान अथवा महासचिव का स्थान रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए उसकी पूर्ति कार्यसमिति करेगी।

6.3 बैठक ——

(□) कार्यसमिति की बैठक की सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व भेजी जाएगी। विशेष बैठक पर यह नियम लागू नहीं होगा।

(□) कार्यसमिति की गणपूर्ति उसकी कुल संख्या का एक तिहाई अथवा सात सदस्य जो भी संख्या कम हो, □□□□ गणपूर्ति के अभाव में स्थगित होने पर पुन: □□□□ □□ □□□□ □□ गणपूर्ति का प्रतिबंध लागू न होगा, किन्तु उसमें कोई नया विषय नहीं उठाया जाएगा।

(□) कार्यसमिति की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार होंगी।

6.4 कर्तव्य और अधिकार ——

(क) कार्यसमिति अपने कार्य सं□□□□ के लिए त्रि —नियम यथावसर बना सकेगी। यह आवश्यकतानुसार विशेष समितियों या उप—समितियों का गठन कर सकेगी और उन निर्देश दें सकेगी। इन समितियों या उप—समितियों में किसी भी उपयुक्त व्यक्ति स सम्मिलित किया □□ □□□□

(ख) कार्यसमिति विभिन्न स्त्रोतों से वित्तीय अनुदान/सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी।

(ग) परिषद की कार्यसमिति समय—समय पर शाखाओं की स्थापना करेगी

(घ) परिषद की कार्यसमिति यह अधिकार होगा कि वह परिषद के संविधान, हितों या उददेश्यों के विपरित आचरण करने वाले सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित/मुक्त कर दे।

(ड़) शाखाओं अथवा नगर प्रादेशिक समन्वय समिति के कार्य संचालन में अव्यवस्था होने पर केन्द्रीय कार्य समिति उनको आवश्यक निर्देश दे सकेगी, जिनका पालन अनिवार्य होगा।

(च) कार्यसमिति परिषद □□उददेश्यों की पूर्ति के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों को परिषद का संरक्षक बना सकेगी।

(छ) कार्यसमिति को परिषद □□पूर्णकालिक तथा अंशकालिक कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, परिश्रमिक आदि तथा परिषद कार्य के संबंध में अन्य व्यक्तियों को देय राशि निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(□) इस संविधान के किसी अंश का अर्थ या आश स्पष्ट न होने पर कार्य समिति को उसका निर्वचन करने का अधिकार होगा।

7. परिषद के पदाधिकारी

7.1 परिषद के निम्नलिखित पदाधिकारी होगें ———

प्रधान	एक
□□—प्रधान	एक या शून्य
□□—प्रधान	एक से तीन
महासचिव	एक
सचिव	एक से आठ
□□□□□	□□

7.2 प्रधान तथा महासचिव का चुनाव सामान्य सभा की वार्षिक बैठक में होगा तथा सामान्य सदस्य एवं आजीवन सदस्य ही इन पदों के लिए निर्वाचित होने के पात्र होगें। शेष पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रधान द्वारा महासचिव के परामर्श से कार्य समिति □□ सदस्यों में से की जायेगी। इन नियुक्तियों का अनुमोदन कार्य समिति से प्राप्त किया □□□□□

8. पदाधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार

8.1 प्रधान के कर्तव्य और अधिकार

(□) परिषद की सामान्य सभा की बैठकों, कार्य समिति की बैठकों की अध्यक्षता क□□□

(□) परिषद के समस्त कार्यों, उसकी चल तथा अचल सम्पत्ति, आ□—व्यय आदि पर अपना नियंत्रण रखना, उनका संरक्षण करना और परिषद के किसी भी पदाधिकारी को कोई कार्य करने को प्राधिकृत करना और उनका मार्ग दर्शन करना।

(□) सभाओं में किसी प्रस्ताव या मामलों में समान मतदान होने पर निर्णायक मत देकर उसका निर्णय करना।

(□) आवश्यकता पड़ने पर परिषद के हित में महासचिव की सलाह से उचित कार्यवाही करना।

को सदस्यों में से की जायेगी। इन नियुक्तियों का अनुमोदन कार्य समिति से प्राप्त किया □□□□□

(□)यदि एक से अधिक प्रधान हो तो उनके कार्य का विभाजन करना तथा वरिष्ठता क्रम निर्धारित करना।

8.2 सह—प्रधान के कर्तव्य और अधिकार

प्रधान की अनुपस्थिति में सह—प्रधान प्रधान के सभी कर्तव्यों का पालन और सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

8.3 □□—प्रधान के कर्तव्य और अधिकार

परिषद का उप—प्रधान, प्रधान/□□—प्रधान की मदद करेगा और उसकी अनुपस्थिति वरिष्ठताक्रम में परिषद की सामान्य सभा अथवा कार्य—समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा और प्रधान के सभी अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

8.4 महासचिव के कर्तव्य और अधिकार

(□) महासचिव परिषद के समस्त कार्य संचालन के निए उत्तरदायी होगा।

(□) वह परिषद के संबंधित संस्थाओं से सम्पर्क रखेगा, उन्हें सहयोग देगा और उनसे सहयोग □□□□

(□) वह प्रधान की अनुपस्थिति से परिषद की सामान्य सभा, कार्य—समिति तथा अन्य समितियों की बैठक निर्मंत्रित करेगा।

(□) □□ □□□□ □□□ □ □मितियों के कार्यवृत्त को तैयार करके उसे सभा की आगामी बैठक में सम्पुष्टि के लिए रखेगा।

(□) वह परिषद के कार्यों की वार्षिक रिर्पोट व अन्य महत्वपूर्ण विवरण तैयार करके उन्हें स्वीकृति के लिए कार्य—समिति तथा केन्द्रीय सामान्य सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत □□□□

(□) किसी भी विवाद उत्पन्न होने पर वह परिषद की ओर से न्यायालयों में एक पक्षकार होगा। वह परिषद की ओर से न्यायालयों में दावा कर सकेगा। उस पर दावा किया जा सकेगा। इस कार्य के लिए वह किसी भी व्यक्ति को पावर आफ अटार्नी (मुख्यतारनामा) □□ □□□□□

(□) परिषद के सभी वैज्ञानिक कर्मचारियों के कार्यों पर वह नियंत्रण रखेगा तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का उसे अधिकार होगा।

(□)यदि एक से अधिक सचिव हों तो उनके कार्यों का विभाजन करेगा और उनके कार्य का निदेशन करेगा।

(□) वह परिषद की ओर से समस्त महत्वपूर्ण कागजों, विवरणों, लेखों आदि पर हस्ताक्षर □□□□□

(□)परिषद के हित में वह उन सब कार्यो को करेग , □□ □□□□□□, जिनका किया जाना वह उचित समझता है या जिनके करने की उससे परिषद उपेक्षा करे

(□)महासचिव को किसी एक मद पर एक सौ रूपये और प्रधान की अनुमति से पांच सौ रूपये □□ व्यय करने का अधिकार होगा।

8.5 **सचिव के कर्तव्य और अधिकार**

सचिव कार्य–समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित दायित्व का वहन करेगा। प्रधान द्वारा निर्दिष्ट सचिव, महासचिव की अनुपस्थिति में महासचिव के अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

8.6 **कोषपाल के कर्तव्य और अधिकार**

(□) कोषपाल महासचिव और सचिवों के सहयोग से परिषद के आय–व्यय का लेखा रखेगा, उसकी संपरीक्षा (आडिट) लेखा परीक्षक से कराएगा तथा उसे परिषद की कार्य–समिति की बैठकों में तथा केन्द्रीय सामान्य सभा की बैठकों में स्वीकृति के लिए रखेगा।

(□) □□ □□–व्यय संबंधी सभी रसीद पुस्तकों, रजिस्टरों आदि अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। जो भी वसूली शेष हो, उन्हें वह उगाहेगा।

(□) □□ □□□□□□□, विशेष परिस्थतियों को छोड़ कर, पांच सौ रूपये तक रख सकेगा।

9. शाखाएं

(□) जिस स्थान पर परिषद के बीस या अधिक सदस्य हो, □हां परिषद की शाखा की स्थापना की जा सकेगी।

(□) शाखा की सामान्य सभा तथा कार्य–समिति केन्द्रीय परिषद के संविधान के अनुसार ही गठित तथा संचालित होगी और उनकी बैंठकों, पदाधिकारियों के चुनाव तथा कार्यकाल ‹ संबंध में वही नियम लागू होंगे जो केन्द्रीय परिषद की सामान्य सभा तथा कार्य–समिति पर लागू हैं।

(□) शाखा अपने सदस्यों के सदस्यता शुल्क का 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय परिषद को देगी।

(□) शाखाओं के पदाधिकारी अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,कोषाध्यक्ष,संयोजक और उपसंयोजक होंगे।

10 प्रादेशिक तथा समन्वय समिति

यदि किसी राज्य अथवा नगर में परिषद की पांच से अधिक शाखाऐं हों तो वहां केन्द्रीय कार्य–समिति की अनुमति से समन्वय समिति का गठन हो सकेगा। इस समन्वय समिति के सदस्य प्रत्येक शाखा के अध्यक्ष तथा संयोजक होंगे और अप¤ –प्रक्रिया स्वंय निर्धारित करेंगे। समन्वय समिति का एक अध्यक्ष तथा एक सचिव होगा □□□□□ □□□□ समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

11 संविधान में संशोधन

इस संविधान में संशोधन केन्द्रीय सामान्य सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से हो सकेगा। यह आवश्यक होगा कि कार्य–सूची में यह विषय पहले से शामिल कर लिया गया हो और उसकी सूचना प्रारूप सहित कम से कम दो सप्ताह पहले दी गई हो।

12 विविध :

(□) परिषद का कार्य वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

(□) केन्द्रीय कार्य–समिति की कार्य–भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी होगी। शाखा स्तर पर जन सम्पर्क के लिए प्रादेशिक भाषाओं कर भी प्रयोग किया जा सकेगा।

(□)संगठन का खाता कार्य–समिति के निश्चय के अनुसार किसी अनुसूचि /राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा तथा संचालित होगा।

(□) परिषद की आय के साधन सदस्यता शुल्क, अनु□□, भेंट, परिषद के प्रकाशन होगें

(□)संस्था पंजीकरण अधिनियम की धारा–4 □□ □□□र कार्य–समिति की सूची रजिस्ट्रार आफ सोसायटी को प्रतिवर्ष भेज दी जाएगी।

(□)ज्ञापन पत्र में जब निवेश योग्य धन–राशि होगी तो उसे आयकर अधिनियम, 1961 □□□ वर्तमान संशोधन) के अनुसार सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त उन प्रतिभूतियों में लगाया जायेगा जिनके आधार पर परिषद को मिलने वाला दान अथवा अन्य सहायत –राशि पर आयकर अधिनियम की संगत धाराओं के अनुसार आयकर में छूट अथवा अन्य राहतें प्राप्त हो सकें।

(□) इस विधान में जिन बातों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है, उनके बारे में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की संबंधित धाराएं लागू होगी।

13 विघटन :

केन्द्रीय सामान्य सभा तीन चौथाई बहुमत द्वारा परिषद को विघटित करने का निर्णय कर सकेगी और इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर परिषद की सम्पत्ति आदि के निपटारे का निर्णय होने के पश्चात् परिषद भंग हो जाएगी। लेन–देन का हिसाब करने पर बची हुई सम्पत्ति अधिकतम समान उददेश्यों वाली किसी संस्था को दे दी जाएगी। इसका निर्णय

निपटारे के ढंग की अन्य बातों के निर्णय के साथ–साथ केन्द्रीय सामान्य सभा की उसी बैठक में किया जाएगा।